राजस्थान स[redacted]
समाज कल्याण[redacted]

क्रमांक:प.4 (8) (आरएण्डपी/सकवि/ 22422-48 दिनांक: 4.4.90

समस्त जिला कलेक्टरर्स,
....

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लायें गये है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तद्-संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों को ध्यान में रख कर जाते है परिणामस्वरूप अनेको वैधानिक जटिलताएं उपलब्ध हो जाती है इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नही किये जाते है जिससे प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे मामले भी सामने आसकते है कि आवेदक राजस्थान का जन्मजात मूल निवासी न होकर वरन् भारत के किसी अन्य प्रान्त का निवासी हो और राजस्थान में नौकरी अथवा अध्ययन आदि के लिये आ गया है, को उसके पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है किन्तु और अधिक सन्तुष्टि के लिये ऐसे पकरणों में आवेदक के मूलनिवास स्थान से विस्तृत जांच करायी जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा ।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा एवं रोजगार आदि के लिये चले जाते है, उनका अनुसूचित जाति/जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा लेकिन वे अनुसूचित जाति/जनजाति को देय रियायत % लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होगे न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं ।

अतः प्राधिकृत अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुसूचितजाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर तथा आवश्यक एवं विश्वसनीय जांच कराने के पश्चात् ही अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करेंगे । यह प्रमाण पत्र उसी स्थिति में जारी करेगें जबकि आप स्वयं आवेदक कीजाति से पूर्ण आश्वस्त हो चुके हों ।

प्राधिकृत अधिकारी प्रायः राज्यपत्रित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं, जो सर्वथा गलत है । यह प्रमाण पत्र प्रायः राजस्व रिकार्ड, नगरपालिका रिकार्ड, हास्पिटल रिकार्ड, जैसे ठोस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जारी किया जाना चाहिये । किंचित असावधानी वरबिना पर्याप्त सत्यापन के गलत प्रमाणपत्र जारी हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की तदसंबंधी धाराओं

क्रमशः....2.

30

... । इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्यवाही सम्भव है । अतः समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश है कि जाति ... पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरते ताकि गलत प्रमाण पत्र जारी न हों यदि ... विषय में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निदेशालय समाज कल्याण विभाग सेसम्पर्क ... या जा सकता है । जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा ... द सम्बन्धी अनुदेश:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वृतिकाग्राही मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपमण्डल मजिस्ट्रेट तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक ऽएक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ऽऽप्रथम श्रेणी वृतिकाग्राही मजिस्ट्रेट से कम पद के नहींऽ
2. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम पद का नही होना चाहिये ।
3. उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार/अथवा उसका परिवार रहता है ।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति/जनजाति सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना के समय जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिये अर्थात एक जिले का राजस्व अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम नही है। न ही किसी राज्य/संघ शासित सेवा का कोई प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके स्थाई निवास का स्थान राष्ट्रपति के विशिष्ठ आदेश को अधिसूचित करने के समय किसी भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रहा हों ।

राष्ट्रपति के तत्सम्बन्धी आदेश को अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के माने जाने के प्रयोजन के लिये उनका निवास स्थान राष्ट्रपति के ऐसे आदेश की अधिसूचना की तारीख के समय, उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है जिनके अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करते है ।

शासन सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राज0, जयपुर

क्रमांक:प-11ऽ8ऽऽ ऽआरएण्डपी/सक वि/22449-500 दिनांक: 4.4.90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान विश्वविद्यालय, ...
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. विशिष्ठ शासन सचिव, को उनके अर्द्धशासकीय टीप संख्या प-9ऽ30ऽकार्मिक/क-3/89 दिनांक 14.12.89 के क्रम में

उपनिदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर